

आदेश


उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या: 548/पॉच-5-2020, दिनांक: 14 मार्च 2020 के द्वारा महामारी अधिनियम-1897 (अधिनियम संख्या 3 सन् 1897) के कम में उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 (सप्तम् संसोधन) दिनांक: 31 मार्च 2021 विनियमावली, 2021 के द्वारा दिनांक: 30 जून 2021 तक या जब तक अगेत्तर आदेश नही दिये जाते है, जो भी पहले हो, के लिए विधिमान्य रहेगी।

जिला चिकित्सालय बाराबंकी के आंशिक भाग एल-2 समक्ष कक्ष कोविड चिकित्सालय संचालित है। कोविड वार्ड में भर्ती मरीजों को प्रयोगात्मक उपचार प्रदान करने हेतु विभिन्न प्रकार की जाँच इत्यादि कराना आवश्यक होता है।

उक्त के दृष्टि जिला चिकित्सालय में संचालित पैथालॉजी, ब्लड बैंक, सी0टी0 स्कैन एवं Truenat जाँच कोविड संक्रमित एवं कोविड प्रिजेन्टीव मरीजों हेतु 24X7 घण्टे संचालित करना सुनिश्चित करें।

डा0 एस0के0सिंह, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय बाराबंकी को निर्देशित किया जाता है कि कोविड संक्रमित एवं कोविड प्रिजेन्टीव मरीजों हेतु उपरोक्त चिकित्सा सेवायें 24X7 घण्टे संचालित कराना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करें। कोविड-19 (कोरोना वायरस) सक्रमण के प्रसार को रोकने हेतु दिये गये निर्देशो का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित न करने पर उत्तर प्रदेश महामारी अधिनियम 1897 एवं भारतीय दण्ड संहिता (अधिनियम संख्या-45 सन् 1860) की धारा-188 के अधीन दण्डनीय अपराध किया गया समझा जायेगा।


(डा0 आशोक सिंह)
जिलाधिकारी
बाराबंकी।
दिनांकित।

संख्या: कोविड-19/2020 / 731

प्रतिलिपि निम्न को सादर सूचनार्थ प्रेषित-:

1. अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं अद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0 उ0प्र0 शासन लखनऊ।
3. आयुक्त, अयोध्या मण्डल अयोध्या।
- प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी
5. मुख्य विकास अधिकारी, बाराबंकी।
6. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बाराबंकी।
7. उप जिला अधिकारी, नवाबगंज बाराबंकी।
8. मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय बाराबंकी।
7. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय पुरुष बाराबंकी।
8. डा0 राजेश कुशवाहा, वरिष्ठ परामर्शदाता/नोडल अधिकारी, जिला चिकित्सालय बाराबंकी को इस निर्देश के साथ कि गम्भीर कोविड संक्रमित, कोविड प्रिजेन्टीव मरीजों को भर्ती कर गुणवत्तापरक उपचार प्रदाना कराना सुनिश्चित करें।
9. प्रभारी अधिकारी, आई0सी0सी0सी0

जिलाधिकारी
बाराबंकी